भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 236
दिनांक 27 नवम्बर, 2024/ 06 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

जेल सुधार

236 श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जेल सुधारों का समर्थन और मानकीकरण करने के लिए एक नई नीति या रूपरेखा तैयार करने पर विचार कर रही है;
(ख) क्या मंत्रालय पुनर्वास को बढ़ाने के लिए जेलों में प्रौद्योगिकी के उपयोग, जैसे वर्चुअल काउंसलिंग या शैक्षिक कार्यक्रम चलाने की संभावना तलाश रहा है;
(ग) कैदियों की मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या पहल की जा रही है, और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को जेल प्रणाली में कैसे एकीकृत किया जाता है; और
(घ) विचाराधीन कैदियों के लिए वर्तमान में मौजूद विशिष्ट पुनर्वास और विधिक सहायता कार्यक्रम क्या हैं, और मंत्रालय अपराधियों की संख्या और अपराध की पुनरावृत्ति दरों को कम करने में उनकी प्रभावशीलता को कैसे मापता है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 4 के अंतर्गत 'कारागार'/'उनमें बंद व्यक्ति' "राज्य सूची" का विषय है। इसलिए कारागारों और कैदियों का प्रशासन एवं प्रबंधन विशिष्ट रूप से संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के क्षेत्राधिकार में आता है तथा वे कारागार संबंधी सुधारों हेतु उपयुक्त नीतियां तैयार करने और उन्हें अपनाने तथा प्रौद्योगिकीय स्तरोन्नयन, विचारणाधीन कैदियों को राहत प्रदान करने और कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य आदि जैसे उपाय करने के लिए सक्षम हैं।

तथापि, गृह मंत्रालय समय-समय पर विभिन्न एडवाइजरी और दिशानिर्देश जारी करके तथा साथ ही कारागारों में सुरक्षा संबंधी अवसंरचना के प्रौद्योगिकीय स्तरोन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान करता रहा है।

गृह मंत्रालय ने वर्ष 2023 में एक 'आदर्श कारागार और सुधारात्मक सेवाएं अधिनियम' तैयार किया था और इसे 10 मई, 2023 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके संबंधित क्षेत्राधिकारों में अपनाने के लिए अग्रेषित कर दिया गया है। आदर्श अधिनियम एक विस्तृत दस्तावेज है, जिसमें कारागार प्रबंधन के सभी संबंधित पहलुओं को शामिल किया गया है। आदर्श अधिनियम में कैदियों के सुधार, पुनर्वास और उनको समाज में शामिल करने के उपयुक्त प्रावधान हैं। इसमें संस्थागत देखभाल के एक अभिन्न अंग के रूप में 'कैदियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम' और 'बाद की देखभाल एवं पुनर्वास संबंधी सेवाओं' के प्रावधान भी हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों में आदर्श अधिनियम का उपयोग करने और इसमें प्रदत्त मार्गदर्शन को अपनाने की सलाह दी गई है।

गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया आदर्श कारागार मैनुअल 2016 कारागार संबंधी सुधार करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि यह मैनुअल अनेक पहलुओं में एक बैंचमार्क के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें कैदियों के पुनर्मिलन और पुनर्वास को बढ़ावा देने, वर्चुअल बैठकों, शैक्षणिक कार्यक्रमों आदि के लिए कारागारों में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना शामिल है, जिसका सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अनुसरण कर सकते हैं और उससे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यह मैनुअल मई, 2016 में सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया था। यह मैनुअल अन्य बातों के साथ-साथ कारागार और सुधारात्मक प्रशासन के सभी पहलुओं के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करता है। आदर्श कारागार मैनुअल, 2016 में "बाद की देखभाल और पुनर्वास", "कैदियों की शिक्षा", "विधिक सहायता" आदि पर समर्पित अध्याय हैं। इस मैनुअल में कैदियों के स्वास्थ्य, परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य, मनोचिकित्सा, संज्ञानात्मक व्यवहार आदि को ध्यान में रखते हुए 'चिकित्सा देखभाल' और 'कैदियों के कल्याण' पर विशिष्ट अध्याय भी हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को देश भर की जेलों के संचालन के बुनियादी सिद्धांतों में एकरूपता लाने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त संशोधनों के साथ मैनुअल में दिए गए मार्गदर्शन को अपनाने की सलाह दी गई है।

राज्य सभा अता.प्र.स. 236 दिनांक 27.11.2024

यह मंत्रालय जेलों में ई-कारागार प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, जेल में फोन जैमिंग समाधानों जैसी सुरक्षा संबंधी अवसंरचना के स्तरोन्नयन, विडियो कॉन्फ्रेंस संबंधी अवसंरचना को बढ़ावा देने, जेलों को आधुनिक तलाशी उपकरणों से सुसज्जित करने और कैदियों के कल्याण आदि के उद्देश्य से कारागारों के आधुनिकीकरण की परियोजना जैसी स्कीमों के माध्यम से कैदियों के कल्याण हेतु कारागार प्रणालियों के प्रौद्योगिकीय स्तरोन्नयन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता रहा है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, बैंगलोर के साथ समन्वय से गृह मंत्रालय ने कैदियों और कारागार अधिकारियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए दो हैंडबुक तैयार की थीं और उन्हें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके मार्गदर्शन हेतु अग्रेषित किया गया था।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों ने जेलों में विधिक सेवा क्लीनिक स्थापित किए हैं, जो जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करते हैं। विधिक सेवा क्लीनिकों को पैनलबद्ध विधिक सेवा अधिवक्ताओं और प्रशिक्षित पैरा-विधिक स्वयंसेवकों द्वारा संचालित किया जाता है। जेलों में ऐसे क्लीनिक यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए हैं कि कोई भी कैदी कानूनी प्रतिनिधि से वंचित न रहे और उन्हें विधिक सहायता तथा सलाह प्रदान की जाए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) निःशुल्क विधिक सहायता, प्ली बार्गेनिंग, लोक अदालत और कैदियों के जमानत के अधिकार सहित उनके विधिक अधिकारों की उपलब्धता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जेलों में जागरूकता शिविर भी लगाता है। 'आदर्श कारागार मैनुअल 2016' में 'कानूनी सहायता' पर एक विशिष्ट अध्याय है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि राज्यों को गरीब और कानूनी प्रतिनिधि से वंचित कैदियों की सहायता के लिए विभिन्न कारागारों का दौरा करने हेतु जेल में आने वाले अधिवक्ताओं को नामित करने की पद्धति अपनानी चाहिए। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार नालसा ने अंडर-ट्रायल समीक्षा समितियों के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की थी, जिसे गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया था, ताकि इसके प्रावधानों का इष्टतम उपयोग किया जा सके।

******